मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067
ई–मेलः rmsc@nic.in
Website: www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.04(   )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/06–2017–18/2017/575 दिनांक 13.04.2018

कार्यालय ओदश

M/s Shamshree Lifesciences Ltd., S.C.O. 1136-37, Sector 22-B, Chandigarh, Pin-160022 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(169)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-01/2016/01 दिनांक 01.01.2016 के तहत औषधि Aztreonam Injection USP 50mg (code no. 509) के क्रयादेश क्रमांक 715 दिनांक 12.08.2016 के द्वारा 8560 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 1438 दिनांक 21.11.2016 के द्वारा 11760 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 1911 दिनांक 16.02.2017 के द्वारा 5760 मात्रा एवं 467 दिनांक 17.05.2017 के द्वारा 6640 मात्रा 60 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे। फर्म द्वारा समय–समय पर औषधि आपूर्ति किये जाने हेतु निगम से अतिरिक्त समयावृद्धि अनुमत कराई गई।

फर्म द्वारा निर्धारित समय पर एवं अनुमत अतिरिक्त समयावृद्धि में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरूद्ध आपूर्ति नहीं की गई। उक्त औषधि अतिआवश्यक औषधि की श्रेणी में आने के कारण इसके अभाव में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकरण का एजेण्डा तैयार कर दिनांक 15.01.2018 को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। इस सम्बन्ध में निर्माता फर्म को दिनांक 18.01.2018 को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया कि नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस में अपना पक्ष लिखित में प्रस्तुत करें, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही की जावेंगी। दिनांक 20.02.2018 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक की गई तथा फर्म को सुनवाई का अवसर दिया गया। फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने विचार–विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की कोई मात्रा आपूर्ति नहीं की गई हैं, जो आर.एम.एस.सी.एल. से हुए अनुबन्ध का उल्लघंन है। अतः अनुशासनात्मक समिति के निर्णय की अनुशंषा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Shamshree Lifesciences Ltd. की औषधि Aztreonam Injection USP 50mg (code no. 509) को यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(महावीर प्रसाद शर्मा) 13.4.18
प्रबन्ध निदेशक

\\10.130.17.55\Mahesh Verma\Letter (Hindi)1.docx

क्रमांक : प. 4( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/सप्लाई/2018/575 दिनांक : 13.04.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महाराष्ट्र।
4. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर।
6. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSU/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. Drug Controller General (India)New Delhi.
8. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/महाराष्ट्र।
9. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/वित्त), आरएमएससी, जयपुर।
10. M/s Shamshree Lifesciences Ltd., S.C.O. 1136-37, Sector 22-B, Chandigarh, Pin-160022
11. गार्ड फाइल।

विशेषाधिकारी
आरएमएससी